न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये ब्रिजेश सेठी प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	1. देवीलाल प्रजापत पुत्र डालू प्रजापत निवासी डेलाना तहसील सहाडा जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री लादूलाल गुर्जर अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.04.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि ग्राम डेलाणा तहसील सहाडा स्थित देवीलाल प्रजापत के गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर देवीलाल प्रजापत गोदाम पर उपस्थित मिले। मौके पर 25 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 04 रिफलिंग मशीन पायी गयी। विपक्षी से इस संबंध में कागजात के लिए पूछा गया तो उन्होनें कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इस प्रकार आरोपी देवीलाल प्रजापत द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 25 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 04 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.02.2025 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी देवीलाल प्रजापत द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा